

कार्यालयः—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

।।आदेश ।।

क्रमांक 13 / दो—11—02 / 2023

दुर्ग दिनांक 29.01.2024

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6049 / तीन—18—27 / डी.ई./ 2023 दिनांक 12.05.2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप इस कार्यालय स्थापना में भूत्य/फर्रश के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन (15600—49400, वेतन मैट्रिक्स लेवल—1) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भूत्य/फर्रश के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है—

क्र.	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवारों का पता	वर्ग	नियुक्ति का वर्ग
1.	श्री टिकेश्वर कोमिया पिता श्री चितरंजन लाल	2/एच. सड़क नं.—18, सेक्टर—6, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति	मुक्त अनारक्षित
2.	श्री संजीव शरणागत पिता श्री रामचंद्र शरणागत	कैनरा बैंक गली, स्वाती किराना के पीछे, विकास नगर, गुढ़ियारी, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
3.	श्री रामकिशन राजपूत पिता श्री आजू सिंह राजपूत	सरवेंट क्वाटर, बंगला नं. ए 2/5, उच्च न्यायालय आवासीय परिसर, रायपुर रोड, चक्रभाटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
4.	श्री नागेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री नारद सिंह ठाकुर	नयापारा चौक, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. 01, नयापारा, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
5.	एस. रानी पति श्री एस. जॉन	क्वाटर नं. 1 सी, स्ट्रीट—51, सेक्टर—8, भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनारक्षित	महिला अनारक्षित
6.	श्री ईतेश्वर कुमार पिता श्री सोहन लाल	ग्राम अचानकपुर तहसील पाटन, पोस्ट तर्ता, जिला दुर्ग (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग
7.	श्री विकास पात्रे पिता श्री सत्यप्रकाश पात्रे	एम.आई.जी.—24, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मंगला, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जाति	मुक्त अनुसूचित जाति
8.	श्री कुलदीप पिता श्री धनसिंह	ग्राम व पोस्ट पुछेली, तहसील बम्हीडिह जिला जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति	मुक्त अनुसूचित जनजाति

छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के अंतर्गत

नियुक्ति की निर्धारित शर्तः—

1. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र व समर्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (मूल प्रति सहित), 02 नग सेवा पुस्तिका एवं 01 नग सामान्य भविष्य निधि पासबुक लेकर कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

2. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरांत मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगे ।
3. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे । आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे ।
4. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की दशा में उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा ।
5. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि, अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।
6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन व भत्ते के बराबर की राशि जमा/भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, एक वर्ष पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्य नियोजन हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
8. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा किसी युवित्युक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा ।
9. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
10. उपरोक्त समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उनके नियुक्ति आदेश अनुसार निर्धारित की जावेगी ।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा ।




(सिरजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)
०८

पृष्ठांकन क्र. 44.. / दो-11-02/2023
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक 29.01.2024

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 6562 / तीन-18-27 / 2008 दिनांक 26.05.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. श्री टिकेश्वर कोमिया पिता श्री चितरंजन लाल, निवासी—२/एच. सड़क नं. —१८, सेक्टर—६, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
4. श्री संजीव शरणागत पिता श्री रामचंद शरणागत कैनरा बैंक गली, स्वाती किराना के पीछे, विकास नगर, गुढ़ियारी, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
5. श्री रामकिशन राजपूत पिता श्री आजू सिंह राजपूत सरवेंट क्वाटर, बंगला नं. ए २/५, उच्च न्यायालय आवासीय परिसर, रायपुर रोड, चक्रभाटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. श्री नागेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री नारद सिंह ठाकुर नयापारा चौक, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. ०१, नयापारा, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
7. एस. रानी पति श्री एस. जॉन क्वाटर नं. १ सी, स्ट्रीट—५१, सेक्टर—८, भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
8. श्री ईतेश्वर कुमार पिता श्री सोहन लाल ग्राम अचानकपुर तहसील पाटन, पोस्ट तरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)
9. श्री विकास पात्रे पिता श्री सत्यप्रकाश पात्रे एम.आई.जी.—२४, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मंगला, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
10. श्री कुलदीप पिता श्री धनसिंह ग्राम व पोस्ट पुछेली, तहसील बम्हनीडिह जिला जांजगीर—चांपा (छ.ग.)


 (सिराजुद्दीन कुरैशी)

 प्रधान न्यायाधीश

 कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)
 O/C